न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

दायर दिनांक–01.07.2008

मुकदमा नम्बर 121/2008

1. दुर्गाराम पुत्र गणपतराम (मृतक)
   1/1 प्रभाती देवी पत्नी दुर्गाराम
   1/2 राजेन्द्र पुत्र दुर्गाराम
   1/3 कैलाश पुत्र दुर्गाराम
   1/4 महेन्द्र पुत्र दुर्गाराम
   1/5 शायर पुत्र दुर्गाराम
   1/6 नीरज पुत्र दुर्गाराम
   1/7 धर्मवीर पुत्र दुर्गाराम
   1/8 माया पुत्री दुर्गाराम जाति मेघवाल निवासी बागोरियां की ढाणी तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू राज0।
   1/9 सुमन पुत्री दुर्गाराम पत्नी कृष्ण कुमार जाति मेघवाल निवासी बागोरियां की ढाणी तन चिराना हाल आबाद सोटवारा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।
   1/10 प्रिया दत्तक पुत्री दुर्गाराम जाति मेघवाल निवासी बागोरियां की ढाणी तन चिराना तहसील नलवगढ़ जिला झुंझुनू।

2. ग्यारसी बेवा गुसाईराम
3. महेश पुत्र गुसाईराम
4. मुलचंद पुत्र गुसाईराम
5. किशन पुत्र गुसाईराम जरिये संरक्षम माता ग्यारसी
6. बिदामी पुत्री हणमान पत्नी गोपीराम जाति समस्त चमार/मेघवाल निवासीगण बागोरियां की ढाणी तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

—वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:38:34 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

1. चोथू उर्फ चौथमल दत्तक पुत्र रामेश्वर जाति माली निवासी ढाणी खारा मोदीवाली तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू।
2. उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय नवलगढ़।
3. तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

—प्रतिवादीगण

वकील वादी : — श्री चंद्रकांत शर्मा
वकील प्रतिवादी :— श्री जयसिंह शेखावत

दावा बाबत : घोषणा, दुरूस्ती रिकॉर्ड
व स्थाई निषेधाज्ञा।

—:: निर्णय ::—

दिनांक—28.04.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर पुराने 1226 तादादी 4 बीघा 7 बिश्वा स्थित थी जिसके नये खसरा नम्बर पैमाईश के वक्त 1961 रकबा 1.10 है0 दर्ज की गई उसके बाद बागोरियां की ढाणी अलग राजस्व ग्राम बनने पर नये खसरा नम्बर 164 रकबा 1.10 है0 बनाये गये है, जो मौजुदा खसरा नम्बर भी है, उपरोक्त भूमि विवादग्रस्त है जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार है और काबिज है इसी भूमि में वादीगण ने अपने पुख्ता व खाम मकान बना रखे है जि[illegible]स करते है व पशुधन भी वही रखते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:38:34 IST
Reason: SelfAttested

एम. (का. दे.)
नवलगढ

इस साल भी वर्षा होने पर वादीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि काश्त करली है जो फसल मौके पर खड़ी हुई है इस भूमि में प्रतिवादी का नाम कोई हक व हिस्सा है, ना ही कब्जा है और पहले भी प्रतिवादी का इस भूमि पर ना तो कब्जा रहा है ना ही हक व अधिकार रहा है। जागीरदारी के समय भूमि वर्णित धारा 1 वाद–पत्र का जागीरदार किशनलाल पुत्र जतनराम पुरोहित था और वादीगण के पूर्वज हणमान व गणपत खातेदार काश्तकार थे, जब जागीर खालसा हुई तब वादीगण के पूर्वज हनुमान व गणपत इस भूमि को काश्त करते थे और जागीर खालसा होने पर वे ही भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये, जिनका नाम संवत 2012 की गिरदावरी में काश्तकारी खाने में दर्ज है और वे लगातार उस समय से आज तक काश्त करते आ रहे है, जो गिरदावरी उस वक्त रिकार्ड ऑफ राईट ही मानी जाती थी, उस समय जमाबन्दी नहीं बनाई जाती थी, परन्तु गलती से संवत 2016 में वादीगण के पूर्वज हनुमान व गणपत का नाम उप–कृषक के रूप में दर्ज कर दिया जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत किशनलाल की जागीरदारी खत्म होकर वादीगण के पूर्वज हनुमान व गणतप खातेदार काश्तकार हो गये थे और जागीरदार किशनलाल का इस भूमि पर जागीरदारी खालसा होने से लेकर जब तक न तो कब्जा रहा है, ना ही उसने कभी काश्त किया है तथा जागीरदार किशनलाल को न तो विवादित भूमि विक्रय करने का अधिकार था, ना ही विवादित भूमि को किशनलाल ने बिशेसरलला व महावीर प्रसाद को विक्रय किया था, परन्तु पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियों से मिलकर भूमि खसरा नम्बर 1227 का नामान्तकरण भरा गया उसी के साथ विवादित भूमि का नामान्तकरण भी साजिस के तौर पर बसेसरलाल महावीर प्रसाद के नाम से भरकर तस्दीक करवा लिया और ग्राम पंचायत चिराना में बिना किसी प्रकार की जांच किये, नामान्तकरण बसेसरलाल महावीरप्रसाद के नाम से तस्दीक कर दिया, जबकि विवादित भूमि पर वास्तविक रूप से वादीगण के पूर्वज हनुमान व गणपत खातेदार के रूप में काबिज थे और उक्त नामान्तकरण वादीगण के अधिकारों के खिलाफ साजिस के तौर पर भरे जाने व कानून के खिलाफ भरे जाने के कारण बेअसर है, इसी गलत रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:38:34 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (का. दे.)
नवलगढ

के आधार पर बिसेसरलाल, महावीरप्रसाद ने फर्जी तरीके से विक्रय बताकर प्रतिवादी के नाम नामान्तकरण भरवाकर तस्दीक करवा दिया, इसीलिये प्रतिवादी के नाम गलत रिकार्ड बनता रहा है और इस गलत रिकार्ड के आधार पर वादीगण के अधिकार खत्म नहीं होते है और वे खातेदार काश्तकार है। वादीगण के पूर्वज हनुमान व गणपत की मृत्यु होने पर वादीगण ही उसके वारिस है और वे ही इस भूमि को आज तक काश्त कर रहे है व काबिज है। विवादित भूमि वादीगण की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है और वादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है जिनकी भूमि स्वर्ण जाति के लोगों को कानूनन विक्रय नहीं की जा सकती है, इसलिये विधिवत विक्रय–पत्र लिखवाकर उप पंजियक के कार्यालय में नियमानुसार तस्दीक नहीं करवाया है और फर्जी तरीके से स्टाम्प पर फर्जी लिखावट कर खरीदना व विक्रय करना बताया गया है, इसलिये भी विवादित भूमि में प्रतिवादी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है, इसके अतिरिक्त भूमि की कीमत 100/– रूपये से अधिक दर्शायी गई है, जिसके लिये न तो पूर्ण स्टाम्प ड्यूटी लगाई है और ना ही विक्रय–पत्र नियमानुसार तस्दीक करवया है, इसलिये भी प्रतिवादी को विवादित भूमि में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है तथा गलत रिकार्ड की आड़ में वादीगण के खातेदारी अधिकार कानूनन समाप्त नहीं किये जा सकते है और रिकार्ड साजिस के तौर पर गलत बनाया गया है, जिसकी दूरूस्ती करवाने का दावा पेश किया जाना आवश्यक हुआ। बिनाय मुखास्मत दावा हाजा के लिये दिनांक 19.04.2008 को गलत रिकार्ड का सर्वप्रथम पता चलने के रोज व दिनांक 26.06.2008 को रिकार्ड दुरूस्त करवाने से प्रतिवादी द्वारा इन्कार करने व भूमि का हस्तान्तरण करने और जबरन कब्जा करने की धमकी देने के रोज न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वादीगण ने अनुतोष चाहा कि वाद बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर ग्राम बागोरिया की ढाणी में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 164 रकबा 1.10 हैक्टेयर का वादीगण को खातेदार काश्तकार व काबिज होना घोषित फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 16:38:34 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.जे.एम. (क्रा. डे.)
नवलगढ

प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण विवादित जमीनों के न तो खातेदार काश्तकार व सह–काश्तकार है, न ही उपकृषक है, इसलिये उनको यह दावा करने का कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः दावा खारिज होने योग्य है। वादीगण ने यह दावा प्रतिवादी नम्बर 1 पर करीब 40 साल बाद उसके नाम खातेदारी होने के बाद किया है, अतः दावा मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। वादीगण का विवादित जमीन पर कोई कब्जा नहीं है, न ही दावें में कोई कब्जे की सिद्धी ही चाही गई है। अतः कब्जे के अभाव में यह दावा चलने काबिल नहीं है। वादी नम्बर 1 के अलावा अन्य वादीगण नम्बर 2, 3, 4, 5, 6 को किस आधार पर दावे में वादीगण बनाया गया है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। अतः दावा खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी ने काउंटर क्लेम प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी नम्बर 1 दुर्गाप्रसाद व वादी नम्बर 1 दुर्गाप्रसाद व वादी नम्बर 3 महेश ने विवादित जमीन की बाबत दिनांक 22.01.2008 को प्रतिवादी नम्बर 1 के हक में एक लिखापढी 10/– रूपये के स्टाम्प पर लिखकर दी है कि दुर्गाराम ने खसरा नम्बर 164 में जो मकान बनाया है, उसकी खातेदारी रामेश्वर प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम है जो मकान उसने गलती से बना लिया, जिस मकान की बनाने की कीमत रूपये 70000/– व 2000/– रूपये फुटकर व्यय कुल 72000/– रूपये प्रतिवादी नम्बर 1 रामेश्वर वादी नम्बर 1 दुर्गाराम को दिनांक 25.01.2008 तक दे देगा, उक्त रकम अदा होने के 10 दिन बाद मकान वादी नम्बर 1 दुर्गाराम प्रतिवादी नम्बर 1 रामेश्वर को सुपुर्द कर देगा तथा मकान का मालिकाना हक रामेश्वर सैनी का हो जावेगा। मगर वादी नम्बर 1 ने उक्त शर्त का उल्लंघन किया है, इसलिये वह उक्त रकम प्रतिवादी नम्बर 1 से पाने का अधिकारी नहीं है। वादी नम्बर 1 ने प्रतिवादी नम्बर 1 स्व. रामेश्वर की खातेदार काश्तकारी की भूमि खसरा नम्बर 164 में जो नाजायज रूप से मकान ए.बी.सी.डी. बनाया है, जिसकी लम्बाई उत्तर दक्षिण 20 फुट व चौड़ाई पूर्व पश्चिम 10 फुट है। इस जवाब दावे के साथ संलग्न नक्शे में ए.बी.सी.डी. अक्षरों से दिखाया गया है, उसे तोड़कर प्रतिवादी नम्बर 1/1 की जमीन खाली कर दे तथा कब्जा उक्त नक्शे में प्रदर्शित जमीन का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:38:34 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.जे.एम. (फा.ट्रै.)
नवलगढ

प्रतिवादी नम्बर 1/1 को संभला दे, मकान वादी नम्बर 1 अपने खुद के खर्चे से तुड़वाये। वादीगण का दावा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादी नम्बर 1/1 का काउंटर क्लेम मंजूर फरमाया जाकर जवाब दावे के साथ संलग्न नक्शे में भूमि खसरा नम्बर 164 में प्रदर्शित ए.बी.सी.डी. अक्षरों के बीच में बनाये गये मकानो को वादीगण द्वारा तुड़वाया जाकर जमीन का कब्जा प्रतिवादी नम्बर 1/1 को संभलाया जावे, खर्चा हर्जा मुकदमा दिलाया जावें।

वादकथन, जवाब दावे व काउंटर क्लेम के आधार पर निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई।

1. आया विवादित आराजी का गलत रिकार्ड के आधार पर फर्जी तरीके से विक्रय बताकर प्रतिवादीगण के नाम नामान्तकरण भरवाकर तस्दीक करवा दिया।

भा.स.वादीगण

2. आया विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी कातश्कारी की भूमि है। वादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य होने से अन्य स्वर्ण जाति के लोगों को कानूनन विक्रय नहीं की जा सकती।

भा.स.वादीगण

3. आया विवादित आराजी पर वादीगण खातेदार काश्तकार नहीं है न ही उनका कोई कब्जा नहीं है।

भा.स.प्रतिवादी नम्बर 1

4. आया विवादित आराजी व मकान का कब्जा स्व. रामेश्वर को संभालने के लिए कहा तो वह इन्कार हो गया, इस पर सत्यनारायण पुत्र महावीर प्रसाद ने रूपये स्व. रामेश्वरलाल को वापस दे दिए। वादीगण का कब्जा हक व हिस्सा व कब्जा न तो कभी था व [illegible]।

[illegible] प्रतिवादी नम्बर 1

5. आया विवादित जमीन की वादीगण के पूर्वज हनुमान व गणपत का कब्जा व काश्त नहीं रहा है न ही विवादित जमीन [illegible] कोई खातेदारी रही।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:38:34 IST
Reason: SelfAttested

भा.स.प्रतिवादी संख्या 1

6. आया विवादित जमीन की जमाबन्दी संवत 2016–19 तक कि किशनलाल पुत्र जतन जी पुरोहित नि लोहार्गल के नाम से बनी हुई है। उपकृषक को कोई भी खातेदारी अधिकार कानूनन प्राप्त नहीं होते है।

भा.स.प्रतिवादी

7. आया विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड संवत 2024 से आज तक स्व. रामेश्वर के नाम चला आ रहा है। किसी भी हालत में वादीगण के दावे से नहीं की जा सकती।

भा.स.प्रतिवादी

8. आया विवादित जमीन खसरा नम्बर 164 में जो मकान बनाया है उसकी खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से है।

भा.स.प्रतिवादी नम्बर 1/1

पत्रावली में वादी की ओर से महेन्द्र पुत्र दुर्गाराम, ग्यारसी पति गुसाईराम एवं बिदामी पुत्र हनुमान का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में खसरा गिरदावरी संवत 2016 से 2019, 2012 से 2015 प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत 2059 से 2062 प्रदर्श–2, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3, इन्द्राज गश्त खसरा गिरदावरी प्रदर्श–4, फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 28.08.2008 प्रदर्श–5 प्रस्तुत किये। दिनांक 16.05.2024 को प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

बहस वकील वादी सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के कथनों का वाचन करते हुए कथन किया कि ग्राम चिराना की सरहद में भूमि खसरा नम्बर पुराने 1226 तादादी 4 बीघा 7 बिश्वा स्थित थी, जिसके नये खसरा नम्बर पैमाईश के वक्त 1961 रकबा 1.10 हैक्टेयर दर्ज की गई, उसके बाद [illegible] की ढाणी अलग राजस्व ग्राम बनने पर नये खसरा नम्बर 164 रकबा 1.10 हैक्टेयर कायम किये है, जो मौजूदा खसरा नम्बर भी है, उपरोक्त भूमि विवादास्पद है, जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार है और काबिज है, इसी भूमि में वादीगण ने अपने पुख्ता व खाम मकान बना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:38:34 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (का. दे.)
नवलगढ

रखे है, जिसमें आवास करते है व पशुधन भी वही रखते है, इस साल भी वर्षा होने पर वादीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि काश्त करली है जो फसल मौके पर खड़ी हुई है इस भूमि में प्रतिवादी का नाम कोई हक व हिस्सा है, ना ही कब्जा है और पहले भी प्रतिवादी का इस भूमि पर ना तो कब्जा रहा है ना ही हक व अधिकार रहा है। जागीरदारी के समय भूमि वर्णित धारा 1 वाद–पत्र का जागीरदार किशनलाल पुत्र जतनराम पुरोहित था और वादीगण के पूर्वज हणमान व गणपत खातेदार काश्तकार थे, जब जागीर खालसा हुई तब वादीगण के पूर्वज हनुमान व गणपत इस भूमि को काश्त करते थे और जागीर खालसा होने पर वे ही भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये, जिनका नाम संवत 2012 की गिरदावरी में काश्तकारी खाने में दर्ज है और वे लगातार उस समय से आज तक काश्त करते आ रहे है, जो गिरदावरी उस वक्त रिकार्ड ऑफ राईट ही मानी जाती थी, उस समय जमाबन्दी नहीं बनाई जाती थी, परन्तु गलती से संवत 2016 में वादीगण के पूर्वज हनुमान व गणपत का नाम उप–कृषक के रूप में दर्ज कर दिया जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत किशनलाल की जागीरदारी खत्म होकर वादीगण के पूर्वज हनुमान व गणतप खातेदार काश्तकार हो गये थे और जागीरदार किशनलाल का इस भूमि पर जागीरदारी खालसा होने से लेकर जब तक न तो कब्जा रहा है, ना ही उसने कभी काश्त किया है तथा जागीरदार किशनलाल को न तो विवादित भूमि विक्रय करने का अधिकार था, ना ही विवादित भूमि को किशनलाल ने बिशेसरलला व महावीर प्रसाद को विक्रय किया था, परन्तु पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियों से मिलकर भूमि खसरा नम्बर 1227 का नामान्तकरण भरा गया उसी के साथ विवादित भूमि का नामान्तकरण भी साजिस के तौर पर बसेसरलाल महावीर प्रसाद के नाम से भरकर तस्दीक करवा लिया और ग्राम पंचायत चिराना में बिना किसी प्रकार की जांच किये, नामान्तकरण बसेसरलाल महावीरप्रसाद के नाम से तस्दीक कर दिया, जबकि विवादित भूमि पर वास्तविक रूप से वादीगण के पूर्वज हनुमान व गणपत खातेदार के रूप में काबिज थे और उक्त नामान्तकरण वादीगण के अधिकारों के खिलाफ साजिश के तौर पर भरे जाने व कानून के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:38:34 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (का.के.)
नवलगढ

खिलाफ भरे जाने के कारण बेअसर है, इसी गलत रिकार्ड के आधार पर बिसेसरलाल, महावीरप्रसाद ने फर्जी तरीके से विक्रय बताकर प्रतिवादी के नाम नामान्तकरण भरवाकर तस्दीक करवा दिया, इसीलिये प्रतिवादी के नाम गलत रिकार्ड बनता रहा है और इस गलत रिकार्ड के आधार पर वादीगण के अधिकार खत्म नहीं होते है और वे खातेदार काश्तकार है। वादीगण के पूर्वज हनुमान व गणपत की मृत्यु होने पर वादीगण ही उसके वारिस है और वे ही इस भूमि को आज तक काश्त कर रहे है व काबिज है। विवादित भूमि वादीगण की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है और वादीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है जिनकी भूमि स्वर्ण जाति के लोगों को कानूनन विक्रय नहीं की जा सकती है, इसलिये विधिवत विक्रय–पत्र लिखवाकर उप पंजियक के कार्यालय में नियमानुसार तस्दीक नहीं करवाया है और फर्जी तरीके से स्टाम्प पर फर्जी लिखावट कर खरीदना व विक्रय करना बताया गया है, इसलिये भी विवादित भूमि में प्रतिवादी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है, इसके अतिरिक्त भूमि की कीमत 100/– रूपये से अधिक दर्शायी गई है, जिसके लिये न तो पूर्ण स्टाम्प ड्यूटी लगाई है और ना ही विक्रय–पत्र नियमानुसार तस्दीक करवया है, इसलिये भी प्रतिवादी को विवादित भूमि में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है तथा गलत रिकार्ड की आड़ में वादीगण के खातेदारी अधिकार कानूनन समाप्त नहीं किये जा सकते है और रिकार्ड साजिस के तौर पर गलत बनाया गया है, जिसकी दूरूस्ती करवाने का दावा पेश किया जाना आवश्यक हुआ। बिनाय मुखास्मत दावा हाजा के लिये दिनांक 19.04.2008 को गलत रिकार्ड का सर्वप्रथम पता चलने के रोज व दिनांक 26.06.2008 को रिकार्ड दुरूस्त करवाने से प्रतिवादी द्वारा इन्कार करने व भूमि का हस्तान्तरण करने और जबरन कब्जा करने की धमकी देने के रोज न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। वादीगण ने अनुतोष चाहा कि वाद बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया [illegible] गोरिया की ढाणी में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर [illegible] का वादीगण को खातेदार काश्तकार व काबिज होना घोषित फरमाया जा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:38:34 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] एम. (का. क्रे.)
नवलगढ

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने वाद के समर्थन में कुल 5 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये है। प्रथम दस्तावेज प्रदर्श–1 खसरा गिरदावरी संवत 2012 से 2015 एवं 2016 से 2019 में विवादित भूमि की खातेदारी कॉलम संख्या 5 में किशनलाल वल्द जयराम कौम पुरोहित साकिन लोहार्गल दर्ज है। कॉलम संख्या 6 में खुदकाश्त दर्ज है। कॉलम संख्या 16 व 17 में हनुमान, गणपत पिसरान सेडू चमार साकिन देह दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत 2016 से 2019 में खुदकाश्त माफीदार कॉलम संख्या 6 में दर्ज है। इसके नीचे उपकृषक हनुमाना, गणपत पिसरान सेडू चमार का नाम अंकित है। प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत 2059 से 62 में विवादित भूमि की खातेदारी रामेश्वर पुत्र दयाला माली साकिन देह खातेदार कॉलम संख्या 4 में अंकित है। इसके अतिरिक्त पत्रावली में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित नहीं है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित भूमि वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी की होना एवं संवत 2012 से विवादित भूमि पर वादीगण अथवा उनके पूर्वजों का निरन्तर कब्जा काश्त होना प्रमाणित नहीं है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादीगण का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। खसरा गिरदावरी के अंकन के आधार पर खातेदारी प्रदान करने का विधि में प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद वादी साक्ष्य के अभाव में साबित नहीं होने से खारिज योग्य पाया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम साक्ष्य के अभाव में खारिज योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:38:34 IST
Reason: SelfAttested

—:आदेश:—

उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी तथा प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना—अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक **28.04.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:38:34 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

दावा बाबत : घोषणा, दुरूस्ती रिकॉर्ड व स्थाई निषेधाज्ञा।

मुकदमा सं0:– 121 / 2008 **(दुर्गाराम आदि बनाम चौथमल आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.04.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी तथा काउण्टर क्लेम खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आंज तारीख 28.04.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फा॰ट्रे॰) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:38:34 IST
Reason: SelfAttested